यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून** के माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, (तदर्थ) द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 03.08.2018 से 16.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इकाई की विगत लेखारीक्षा दिनांक 01.08.2017 से 14.08.2017 की अवधि में श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री ए.के. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 07/2016 से 06/2017 तक अवधि के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ग्रामीण निर्माण विभाग के अधीन प्रखण्ड के परिसीमन में आने वाले समस्त क्षेत्र में ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों का सम्पादित किया जाना।

   (ii) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं (अ) व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत/अभ्यर्पण	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	31500000	331918000	29537084	25098400	1962916	306819600
2016-17	36890034	380210000	33566888	28530900	3323146	351679100
2017-18	44337524	312615000	43898109	21412800	439415	291202200
2018-19 Upto june 2018	48480000	254420000	18062562	80644000	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-)`
----------शून्य----------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (ए) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन तकनीकी संवर्ग
2. मुख्य अभियंता स्तर-1
3. मुख्य अभियंता स्तर-2
4. अधीक्षण अभिंयता (5) परिमंडल वार
5. अधिशासी अभियंता प्रखण्ड वार
6. सहायक अभियंता
7. कनिष्ठ अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग

1. वित्त नियंत्रक
2. खण्डीय लेखाकार / खण्डीय लेखाधिकारी
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रधान सहायक
5. कनिष्ठ सहायक

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालयअधिशासी , देहरादून ,प्रखण्ड ,ग्रामीण निर्माण विभाग ,अभियन्ता** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथकपृथक जारी किय-े जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय ,ग्रामीण निर्माण विभाग ,अधिशासी अभियन्ता , देहरादून ,प्रखण्ड**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद -के अधीन बनाये गये नियंत्रक 149 डी पी सी) 1971 ,अधिनियम (शक्तियां तथा सेवा की शर्ते ,कर्तव्य) महालेखापरीक्षक के की धारा (1971 ,एक्ट13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2007 ,तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1 रु.15.54 लाख की धनराशि का ठेकेदार को अनुचित लाभ।

नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के चकराता ब्लॉक मे त्यूनी-मोरी-पुरोला राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी0 15 मे स्थित हनोल से ब्यूलाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त मार्ग निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 376.37 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियंता ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा रु. 295.09 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य के अंतर्गत कुल 04 किमी0 लंबाई मे 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्य किया जाना था। उक्त कार्य दो भागो मे किया जाना था जिसके प्रथम भाग मे पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई मे जी-1 बिछाया जाना था तथा द्वितीय भाग मे जी 2, जी 3 के पश्चात पी सी एवं सीलकोट का कार्य किया जाना था।

निर्माण कार्य हेतु किए गए सर्वे के आधार पर तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मे इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि पहाड़ कटान के दौरान निर्माण साइट पर काफी पत्थर उपलब्ध होगा एवं इसमे से एक निश्चित मात्रा मे पत्थर का निर्माण कार्यों मे पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा, इसके तहत "Quantity of reused debries materials" के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों मे पुनर्प्रयोग हेतु उपयुक्त पत्थरो की मात्रा निकाली गयी जिसका निर्माण कार्य की विभिन्न मदों के अंतर्गत पुनर्प्रयोग किया जाना था परंतु लेखा परीक्षा मे पाया गया कि निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की जाने वाली सामिग्री की दरों की गर्णना करते समय उक्त तथ्य को ध्यान मे नहीं रखा गया एवं आइटम दरें बनाते समय पत्थरों के मूल्य को सम्मलित कर गर्णना की गयी जैसे सभी सामग्री बाज़ार से खरीदी जानी हों जबकि विभिन्न श्रेणी का पत्थर साइट पर उपलब्ध था । इस प्रकार अनुबंध हेतु स्वीकृत दरों मे इसी प्रकार निर्धारित दरों को लिया गया एवं तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया ,इस प्रकार ठेकेदार को निम्नवत कार्य मदों के अंतर्गत कुल रु.10,59,400/-की धनराशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया ।

कार्य मद का नाम	**साइट पर उपलब्ध पत्थर की मात्रा/दर(Cu.m)**	**भुगतानितकुल मात्रा (Cu.m)**	**भुगतानित धनराशि (रु.मे)**
HP stone filling In back of walls	1585.14/350.15	479.42	1,67,869
RR stone Masonry for laid dry	1410.12/350.15	1202.84	4,21,174
RR stone Masonry for laid In 1:6 cement	891.40/ 350.15	1341.66	3,12,124**
P&L wire crates Bolder apron	1080.00/350.15	451.90	1,58,233
कुल अतिरिक्त भुगतानित धनराशि			**10,59,400**

**इस मद मे साइट पर उपलब्ध मात्रा को आधार माना गया है ।

इसी प्रकार एक अन्य नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के चकराता ब्लॉक मे कुयानू-मीनस मोटर मार्ग के किमी0 68 पर पाटन से असोई मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त मार्ग निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत ₹ 258.12 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य के अंतर्गत स्टेज-I के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा रु.187.39 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्य के अंतर्गत कुल 03 किमी0 लंबाई मे 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्य किया जाना था । उक्त कार्य के प्रथम भाग मे पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई मे जी-1 बिछाया जाना था। निर्माण कार्य हेतु किए गए सर्वे के आधार पर तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मे मे इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि पहाड़ कटान के दौरान निर्माण साइट पर काफी पत्थर उपलब्ध होगा एवं इसमे से एक निश्चित मात्रा मे पत्थर का निर्माण कार्यों मे पुनर्प्रयोग किया जा सकेगा ,"Quantity of reused debries materials" के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों मे पुनर्प्रयोग हेतु उपयुक्त पत्थरो की मात्रा निकाली गयी जिसका निर्माण कार्य की विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रयोग किया जाना था परंतु लेखा परीक्षा मे पाया गया कि निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री की दरों की गणना करते समय उक्त तथ्य को ध्यान मे नहीं रखा गया एवं आइटम दरें बनाते समय पत्थरों के मूल्य को सम्मलित कर गणना की गयी जैसे सभी सामग्री बाज़ार से खरीदी जानी हों जबकि विभिन्न श्रेणी का पत्थर साइट पर उपलब्ध था । इस प्रकार अनुबंध हेतु स्वीकृत दरों मे इसी प्रकार निर्धारित दरों को लिया गया एवं तदनुसार ठेकेदार को भुगतान किया गया ,इस प्रकार ठेकेदार को निम्नवत कार्य मदों के अंतर्गत रु.4,94,168/- की धनराशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया–

कार्य मद का नाम	**साइट पर उपलब्ध पत्थर की मात्रा/दर(Cu.m)**	**भुगतानित कुल मात्रा (Cu.m)**	**भुगतानित धनराशि (रु.मे)**
HP stone filling In back of walls	485.97/331.14	61.92	20,502
RR stoneMasonry for laid dry	968.46/331.14	639.87	2,11,887
RR stone Masonry for laid In 1:6 cement	790.54/331.14	865.42	2,61,779**
कुल अतिरिक्त भुगतानित धनराशि			**4,94,168**

**इस मद मे साइट पर उपलब्ध मात्रा को आधार माना गया है ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे आपत्ति किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि आगरण गठित करते हुए PWD द्वारा जारी SOR की दरों का प्रयोग किया गया है ,जिसमे बिभिन्न मदों मे उपयुक्त पत्थर की दरें स्थल के 100 मी॰ दायरे मे ही उपलब्धता के अनुसार क्रमशः रु. 350.15 प्रति घन मी॰एवं रु.331.14 प्रति घन मी॰ ली गयी है जबकि कुएयरी से पत्थर की दर क्रमशः रु.667.60/-प्रति घन मी॰ एवं रु. 601.50 प्रति घन

मी॰ होती ,इसके अतिरिक्त नियमानुसार ठेकेदार के बीजक से पत्थर की रॉयल्टी काटी गयी है इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब सर्वे रिपोर्ट मे यह स्पष्ट किया गया है कि पत्थर साइट पर उपलब्ध है तो उसकी कोई भी कीमत निर्माण कार्य मदों की गणना करते समय ली ही नहीं जानी चाहिए थी लेखा परीक्षा द्वारा भी केवल साइट पर उपलब्ध मात्रा को ही आधार बनाया गया है अतः निर्माण मदों में पत्थरों की कीमत को शामिल करने से ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ पहुंचा। अतः उपरोक्त दोनों कार्यों मे ठेकेदार को रु.15.54 लाख का अनुचित लाभ पहुचाए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-2 ब</u>

प्रस्तर -2- रु. 184.97 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

(i) खंड की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि बिभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 16 माह से लेकर 115 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों मे से अधिकांश को न सिर्फ अनारम्भ रखा गया था बल्कि जिन मे थोड़ा बहुत कार्य आरंभ भी हुआ था उनको भी इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 11 विभागो के 25 कार्यों (संलग्नक -1) की रु.111.95 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 9.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

(ii) इसी प्रकार विभाग द्वारा निक्षेप कार्यों के रूप मे किए जा रहे कार्यों के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति संबंधी रिपोर्ट (जुलाई 2018) का अवलोकन करने पर पाया गया कि 07 विभागो के 18 कार्यो को पूर्ण कर लिया गया था(संलग्नक -2),परंतु लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक न तो उन कार्यो को हस्तांतरित किया गया था एवं न ही उन कार्यों की अवशेष धनराशि रु.73.02 लाख को संबन्धित विभागों को वापस किया गया था । इस प्रकार कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी उक्त धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि लेखा परीक्षा द्वारा प्रदर्शित धनराशि मे पूर्ण किए गए कार्यों के दायित्व का भुगतान शेष है ,शीघ्र ही भुगतान की कार्यवाही कर ली जाएगी यदि कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाता है तो उसकी धनराशि शीघ्र ही संबन्धित विभाग को वापस कर दी जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि संलग्नक -1 के कार्यों हेतु धनराशि विगत 16 माह से लेकर 115 माह तक की अवधि पूर्व प्राप्त हुई थी ,इनमे से अधिकांश कार्यों को लेखा परीक्षा अवधि (जुलाई 2018) तक आरंभ ही नहीं किया गया था एवं जिनमे कुछ कार्य किये गये थे वे लंबे समय से अपूर्ण पड़े थे एवं उनको पूर्ण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे । इसी प्रकार लेखा परीक्षा अवधि मे (संलग्नक -2 के अनुसार) 07 विभागों के 18 निर्माण कार्यों को 07 माह से लेकर 01 वर्ष की अवधि पूर्व ही पूरा किया जा चुका था परंतु फिर भी इन कार्यों की अवशेष धनराशि को संबन्धित विभागों को वापस न कर अवरुद्ध रखा गया था ,विभाग का यह कहना कि दायित्वों का भुगतान शेष है, पूर्णतः अनुचित है क्योंकि ठेकेदारों को अंतिम बिल का भुगतान कर दिया गया था,एवं किसी प्रकार के शेष के संबंध में कोई साक्ष्य इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 184.97 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान लाया जाता है।

अवरुद्ध धनराशि का विवरण (संलग्नक-1)

विभाग का नाम	निर्माण कार्य का नाम	धनराशि प्राप्ति का माह	07/2018 तक उपलब्ध धनराशि
आयुर्वेदिक विभाग	आयुर्वेदिक चिकित्सालय हर्रावाला का निर्माण	07/2010	7,10,999
	आयुर्वेदिक चिकित्सालय मिंडाल का निर्माण	11/2014	1,30,000
मतस्य विभाग	मतस्य प्रजनन क्षेत्र ढकरानी मे अनावासीय भवन का निर्माण	01/2017	17,02,084
होम्योपथिक विभाग	जिला होम्योपथिक चिकित्सालय रायवाला मे अनावासीय भवन का निर्माण	04/2016	5,99,755
जनजाति कल्याण	राजकीय आश्रम पद्धति बालिका उच्चतर माध्यमिक विध्यालय लांगापोखरी	03/2016	6,96,854
शिक्षा विभाग	रा प्रा वि होरार मे कक्षा कक्ष	06/2016	2,96,940
	रा प्रा वि प्युनल मे कक्षा कक्ष	06/2016	3,80,041
	रा उच्च मा वि बामथात मे कक्षा कक्ष	08/2015	1,23,971
	जी आइ सी मइरावना मे कार्य	06/2016	3,20,019
	जी आइ सी बुल्लावाला मे चाहरदीवार का निर्माण	04/2017	2,00,000
	जी आइ सी राजपुर रोड मे टीनशेड का निर्माण	10/2016	1,08,941
एम डी डी ए	गुनियाल गाँव के पूरनसिंह के घर से हरभजन के घर तक	03/2014	1,00,000
	नेशविला रोड मे बकरालवला पल के पास सड़क	01/2014	1,62,000
	इन्दिरा नगर अनमोल मार्केट से जंगल तक नाले का निर्माण	12/2014	1,37,945
पशुपालन विभाग	सीमेन सेंटर का निर्माण श्यामपुर ऋषिकेश	04/2015	3,68,860
	नेशनल वोवाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत गायों हेतु शेड	04/2015	4,00,889
	ACFB Functioning Unit Rishikesh	01/2014	13,40,277
पर्यटन विभाग	सदर बाज़ार चकराता मे यात्री शेड का निर्माण	02/2014	1,79,143
पुलिस विभाग	विभिन्न कार्य	---	8,41,147
समाज कल्याण	ग्राम पंचायत मेंद्रेय के अंतर्गत मोरी रोड से दरोती तक संपर्क मार्ग	12/2010	1,16,216
	अंबेडकर नगर डी एल रोड पर सामुदायिक भवन निर्माण	07/2015	1,25,175
	ग्राम पंचायत मारोगी के एस सी बस्ती मे खड़ंजा दीवार ,यात्री शेड का निर्माण	08/2015	1,41,198
युवा कल्याण / पी आर डी	पी आर डी कॅम्पस मे आवासीय भवन	12/2008	4,61,326
	पाईका सेंटर मे खेल मैदानों का निर्माण	10/2013	4,72,684
	ग्राम पंचायत सकरोल मे खेल मैदान का निर्माण	11/2016	10,78,340
कुल योग (111.95 लाख)			**1,11,94,804**

अवरुद्ध धनराशि का विवरण (संलग्नक-2)

(लाख रु. में)

विभाग का नाम	कार्य का नाम	आबंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	पूर्ण होने का माह
प्रांतीय रक्षक दल	वि॰ख॰ रायपुर में रा॰पालिटेक्निक आमवाला के पास युवा केंद्र भवन रायपुर का निर्माण	204.81	202.40	2.41	11/17
ग्राम्य विकास विभाग	वि॰ख॰ रायपुर में कार्यालय परिसर में सभा कक्ष का सुद्रडीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य	56.97	55.69	1.28	10/17
ग्राम्य विकास	विकास खंड रायपुर की आवासीय कालोनी टाईप तृतीय न॰ का मरम्मत कार्य 04	24.00	16.68	7.32	---
शिक्षा विभाग	रा॰उ॰मा॰वि॰ बाग्थात में एक कक्षा कक्ष एवं चारदीवारी का निर्माण (वि॰ख॰कालसी)	16.52	15.23	1.29	08/17
शिक्षा विभाग	रा॰इ॰का॰ सेलकुई में एक कक्षा कक्ष का निर्माण	10.00	7.96	2.04	08/17
शिक्षा विभाग	रा॰प्रा॰वि॰प्यूनल एक कक्षा कक्ष का निर्माण	10.00	6.20	3.80	01/18
शिक्षा विभाग	रा॰प्रा॰वि॰गढ़वाली कालोनी में एक कक्षा कक्ष का निर्माण	10.00	7.93	3.07	08/17
शिक्षा विभाग	रा॰प्रा॰वि॰कुतड़ में सुरक्षा दीवार का निर्माण	5.00	1.44	3.56	12/17
शिक्षा विभाग	रा॰उ॰मा॰वि॰ गबेला में एक कक्षा कक्ष का निर्माण	10.00	6.87	3.13	01/18
शिक्षा विभाग	रा॰इ॰का॰ गुजराड़ा में मरम्मत कार्य	4.00	2.52	1.48	---
मत्स्य विभाग	मत्स्य प्रजनन केंद्र ढकरानी में मिरर कॉर्प हैचारी का निर्माण एवं विभिन्न कार्य	127.28	125.35	1.93	08/17
मत्स्य विभाग	मत्स्य प्रजनन केंद्र ढकरानी में अतिथि गृह का सुद्रडीकरण व अन्य भवनो का मरम्मत कार्य	93.72	75.89	17.83	10/17
खेल विभाग	परेड ग्राउंड देहरादून मे जूडो हाल की मरम्मत	12.03	5.78	6.25	06/18
खेल विभाग	परेड ग्राउंड स्थित खेल परिसर में क्रीडा सामाग्री हेतु स्टोर का निर्माण	21.73	20.07	1.66	12/17

समाज कल्याण	कालसी के ग्राम तुंगरा मे आंतरिक सी सी मार्ग का निर्माण	6.16	3.04	3.12	---
	कालसी के ग्राम रखताड के सीलेड खड्ड से चापिन तक सी सी मार्ग निर्माण	3.00	1.32	1.68	---
	चकराता के ग्रामकुन्ना के क्यारकटी मे गूलनिर्माण	9.86	4.85	5.01	---
मनरेगा	कलक्ट्रेट परिसर स्थित एन॰ आई॰ सी॰ कार्यालय का मरम्मत विस्तारिकरण कार्य/	20.53	14.37	6.16	08/17
कुल धनराशि (73.02 लाख)				**73.02**	

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- 01 से 14 वर्ष की अवधि तक अदावाकृत धनराशि को शासकीय लेखे को व्यपगत नहीं किया जाना ₹ 23.97 लाख

वित्तीय हस्त-पुस्तिका भाग-6 के नियम (741,742 एवं 743) के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् खण्डों द्वारा कोषागार से किये गए मासिक लेन-देनों का समायोजन विवरण तैयार किया जाना चाहिए । खण्ड द्वारा कोषागार को किये गए प्रेषणों की समेकित कोषागार प्राप्ति (CTR) तथा भुगतान किये गए चैकों की सूची तथा कोषागार से मासिक समायोजन प्रपत्र 51, कोषाधिकारी द्वारा खण्डीय अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि माह जून 2018 के प्रपत्र 51 के पार्ट-I में ₹ **5922608/- का ऋणात्मक अंतर** था । **तथा पार्ट-II में ₹ 2397499/- की धनराशि के निम्नलिखित निर्गत एवं कालातीत चैक भुगतान नहीं होना पाया गया** ।

क्रम सं.	**चैक सं.एवं दिनांक**	**धनराशि (रु.) में**	**कालातीत होने का माह एवं वर्ष**	**अभ्युक्ति**
1	032/065 dt. 08.05.01	3126	31.08.01	31 मार्च 2004 को व्यपगत होनी थी
2	033/065 dt. 08.05.01	1000	31.08.01	31 मार्च 2004 को व्यपगत होनी थी
3	032/068 dt.21.01.07	10000	30.04.07	31 मार्च 2010 को व्यपगत होनी थी
4	61064/ 30.04.08	3333	31.07.08	31 मार्च 2011 को व्यपगत होनी थी
5	76136/24.05.11	104000	31.08.11	31 मार्च 2014 को व्यपगत होनी थी
6	78048/31.01.13	1604000	30.04.13	31 मार्च 2016 को व्यपगत होनी थी
7	78115/20.02.13	665800	30.05.13	31 मार्च 2016 को व्यपगत होनी थी
8	79121/ 01.01.14	6240	30.04.14	31 मार्च 2017 को व्यपगत होनी थी
		2397499	धनराशियाँ 01 से 14 वर्षों तक असमायोजित पड़ी रहीं।	

उपरोक्त निर्गत चैकों के कालातीत हो जाने के पश्चात् किसी चैक का नवीनीकरण होना भी अभिलेखों में परिलच्छित नहीं हुआ तदनुसार चैकों की धनराशि का, निर्गम की तिथि से, तीन माह के पश्चात्, कोषागार से अभुगतान प्रमाण पत्र (Non payment Certificate) प्राप्त कर चैक की वैधता अवधि समाप्त की जानी अपेच्छित थी । साथ ही वित्तीय नियमों के अनुसार चैकों की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त धनराशि का दावा किसी दावेदार के द्वारा तीन लेखा वर्षो तक नहीं किये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि शासकीय लेखे को व्यपगत हो जाना प्रावधानित है ।

इकाई द्वारा इतनी लम्बी अवधि (01 से 14 वर्ष) तक इतनी बड़ी धनराशि का कोषागार से अभुगतान प्रमाण पत्र (Non payment Certificate) प्राप्त कर शासकीय लेखे को व्यपगत किये जाने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि लम्बित चैकों के अभुगतान प्रमाण पत्र हेतु कोषागार को लिखा गया है प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही निस्तारण कर लिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विगत 14 वर्ष की अवधि तक अदावाकृत पड़ी धनराशि ₹ 23.97 लाख का शासकीय लेखे को व्यपगत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए परिणामस्वरुप इतनी बड़ी धनराशि 14 वर्ष तक अप्रयुक्त एवं अनावश्यक रूप से अवरुद्ध पड़ी रही । अतः **01 से 14 वर्ष की अवधि तक अदावाकृत पड़ी धनराशि ₹ 23.97 लाख को शासकीय लेखे को व्यपगत नहीं किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।**

STAN

प्रस्तर-1- रु. 16.55 लाख की एल डी की धनराशि वसूल नहीं किया जाना ।

(i) नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के चकराता ब्लॉक मे त्यूनी-मोरी-पुरोला राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी0 15 मे स्थित हनोल से ब्यूलाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त मार्ग निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2015-16 के अंतर्गत ₹ 376.37 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियंता ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा रु.295.09 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्य के अंतर्गत कुल 04 किमी0 लंबाई मे 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्य किया जाना था । उक्त कार्य दो भागो मे किया जाना था जिसके प्रथम भाग मे पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई मे जी-1 बिछाया जाना था । तथा द्वितीय भाग मे जी 2, जी 3 के पश्चात पी सी एवं सील कोट का कार्य किया जाना था । उपरोक्त निर्माण कार्य के भाग प्रथम के कार्यों के अंतर्गत कुल 08 अनुबंध गठित किए गए थे तथा प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्य 10 मार्च 2016 को प्रारम्भ कर 09 सितंबर 2016 को समाप्त किया जाना था । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्य को निर्धारित अवधि मे पूरा न कर 08 माह की अवधि से 12 माह की अवधि के विलंब से पूरा किया गया था । चूंकि समस्त कार्य अनुबंधित अवधि से काफी समय बाद सम्पन्न किए गए अतः GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार देर से कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि (रु.18.99लाख) एल डी के रूप मे अधिरोपित कर उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी (संलग्नक-1) परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही न कर उक्त ठेकेदारों को अंतिम भुगतान कर दिया गया था।

(ii) इसी प्रकार एक अन्य नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के चकराता ब्लॉक मे कुयानू-मीनस मोटर मार्ग के किमी0 68 पर पाटन से असोई मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त मार्ग निर्माण हेतु शासन द्वारा वर्ष 2014-15 के अंतर्गत ₹ 258.12 लाख की धनराशि आवंटित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त कार्य के अंतर्गत स्टेज-I के कार्यों हेतु अधीक्षण अभियंता ,ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा रु.187.39 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्य के अंतर्गत कुल 03 किमी0 लंबाई मे 5.20 मी. चौड़ाई का पहाड़ कटान का कार्य किया जाना था । उक्त कार्य के प्रथम भाग मे पहाड़ कटान के अतिरिक्त Retaining wall, Breast wall, Cross drainage एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्यों के साथ पूरी लंबाई मे जी-1 बिछाया जाना था । कार्य को 01-04 जाबों मे बांटा गया तथा प्रत्येक जॉब के लिए अधिशासी अभियंता स्तर का अनुबंध किया गया । 01 अतिरिक्त जाब के कार्य के लिए सहायक अभियंता स्तर का अनुबंध किया गया । प्रत्येक अनुबंध के अंतर्गत कार्य 30 सितंबर 2016 को प्रारम्भ कर 29 मार्च 2017 को समाप्त किया जाना था । परंतु संलग्नक-2 के विवरण से स्पष्ट है कि सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य निर्धारित अवधि मे पूरा न कर 07 माह की अवधि से 13 माह की अवधि के विलंब से पूरा किया गया था । चूंकि समस्त कार्य अनुबंधित अवधि से काफी समय बाद सम्पन्न किए गए अतः GPW 9 clause 04 sub

section 4.5 के अनुसार देर से कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु.7.02 लाख एल डी के रूप मे अधिरोपित कर उसके देयकों से वसूल की जानी चाहिए थी (संलग्नक-2) परंतु इकाई द्वारा कोई कार्यवाही न कर उक्त ठेकेदारों को अंतिम भुगतान कर दिया गया था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मार्ग से संबन्धित सभी अनुबन्धो के समयवृद्धि प्रकरण सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं जिसमे से अनुबंध संख्या 29,33,34,एवं 35 की समयवृद्धि स्वीकृत सक्षम अधिकारी मुख्य अभियंता स्तर-1 से प्राप्त हो चुकी है (प्रति प्रस्तुत) । अन्य अनुबन्धो की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाएगी। इकाई द्वारा अपने उत्तर मे स्वयं स्वीकार किया गया है कि मात्र 04 अनुबन्धो को छोड़कर शेष 09 अनुबन्धो मे कोई समयवृद्धि प्रदान नहीं की गयी है अतः उक्त 09 अनुबन्धो के अंतर्गत कुल 16.55 लाख(9.53+7.02=16.55 लाख) की धनराशि की एलडी के रूप में वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

जाब संख्य	अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब	अनुबंध की धनराशि	अंतिम भुगतान की राशि
01	34EE/2016	09.09.2016	19.09.2017/12माह	21,00,586**	
02	35EE/2016	09.09.2016	05.07.2017/10माह	24,20,842**	
03	28EE/2016	09.09.2016	20.09.2017/12माह	24,40,226	24,86,648
04	29EE/2016	09.09.2016	05.07.2017/10माह	24,71,132**	----
05	30EE/2016	09.09.2016	20.09.2017/12माह	22,05,118	21,93,166
06	31EE/2016	09.09.2016	20.09.2017/12माह	24,74,757	21,93,727
07	32EE/2016	09.09.2016	20.09.2017/12माह	24,13,133	24,23,420
08	33EE/2016	09.09.2016	20.05.2017/08माह	24,64,686**	----
				95,33,234	
एल डी की धनराशि (अनुबंध की धनराशि का 10%)				**9.53 लाख**	

**समयवृद्धि स्वीकृत

संलग्नक-2

जाब संख्या	अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ विलम्ब	अनुबंध की धनराशि	अंतिम भुगतान की राशि
01	22EE/2016	29.03.2017	22.10.2017/07माह	18,14,560	18,03,570
02	23EE/2016	29.03.2017	25.04.2018/13माह	18,39,313	13,44,369
03	24EE/2016	29.03.2017	22.10.2017/07माह	12,48,129	12,14,384
04	25EE/2016	29.03.2017	25.02.2018/11माह	15,00,637	12,08,614
05	17AE/2016	31.03.2017	25.02.2018/11माह	5,99,550	6,21,496
				70,02,189	**61,92,433**
एल डी की धनराशि (अनुबंध की धनराशि का 10%)				**7.02 लाख**	

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
41/2007-08	-	01	-
59/2010-11	01	01	-
73/2011-12	01	01	-
89/2014-15	-	02	-
43/2016-17	01	01	-
54/2017-18	01	01,02	1,2,3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्तानुसार		54/2017-18- STAN- 1,2 – प्रस्तुत 89/2014-15- Part-2B Para-1- प्रस्तुत		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई. अनुपम भटनागर	अधिशासी अभियंता	31.01.2016 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र